

प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता संजाल

चर्चा में क्यों?

- हमारे समुद्र तटों, जलमार्गों, वनों और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी पाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की भारी मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिये "प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ" (beat plastic pollution) वषिय को चुना।
- भारत में भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है जसि देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द एनरजी एंड रिसोर्सि इंस्टीट्यूट (TERI) के साथ मलिकर 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अवसर और चुनौतियाँ' नामक एक चर्चा-पत्र जारी कया गया।

महत्त्वपूर्ण बडि

- यूरोपीय संघ ने पर्यावरण दिवस के अवसर को चम्मच, कॉटन बड्स और ड्रकिंग स्ट्रॉ जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के बारे में चर्चा के लिये चुना। जब संबंधित कानून पारित होगा तो अपशिष्ट को इकट्ठा करने और नसितारित करने का दायित्व इन उत्पादों के नरिमाताओं पर होगा।
- इसके सदस्य देशों को 'उपयोग करो और फेंको' की संस्कृति को हतोत्साहित करने के लिये 2025 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैय की बोलतों का 90 प्रतिशत इकट्ठा करने और नरिमाताओं को टकिारु सामग्रियों में बदलने की भी आवश्यकता होगी।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये संगठित तंत्र का अभाव

- TERI द्वारा जारी कयि गए पत्र ने कुछ चौकाने वाले तथ्यों का खुलासा कया है। भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत लगभग 11 किलोग्राम है, जो 28 किलोग्राम के वैश्विक औसत से काफी कम है, लेकिन इसमें से केवल 60 प्रतिशत का ही पुनरचक्रण हो पाता है।
- चति का प्रमुख कारण प्रति दिन उत्पन्न 15,342 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के नसितारण के लिये एक संगठित तंत्र की कमी है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑकड़ों के अनुसार, कुल ठोस कचरे में प्लास्टिक का योगदान 8 प्रतिशत होता है, इसमें सर्वाधिक योगदान दिल्ली का फरि कोलकाता और अहमदाबाद का है।
- इसके अलावा, चर्चा-पत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमान का उद्धरण देता है, जसिमें 2022 तक भारत में 20 कगिरा प्लास्टिक की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान लगाया गया है, जसिका समाधान न करना बडे संकट को आमंत्रित करेगा।

TERI द्वारा दयि गए कुछ सुझाव

- TERI के चर्चा-पत्र में कुछ वहनीय विकल्पों की सूची दी गई है, जनिकी खोज इसकी शोध और नीतिदल ने इस मुद्दे को हल करने के लिये की है, हालाँकि कुछ परीक्षण अभी भी कयि जा रहे हैं।
- पहला विकल्प है अल्पकालिक उपयोग वाले उत्पादों के लिये थोडा महँगे, बायो-आधारित और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन करना जो स्टार्च, सेलुलोज और पॉलिकैटिक एसडि का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है।
- दूसरा विकल्प जसि चर्चा-पत्र में 'व्यवहार्य और तकनीकी रूप से सुसंगत' कहा गया है, वस्तुतः उन तकनीकों का उपयोग करके प्लास्टिक के पुनरचक्रण से संबंधित है जनिके माध्यम से कच्चे माल की दूसरी आपूर्ति श्रृंखला का उत्पादन कया जा सकता है। अपशिष्ट पदानुक्रम के अनुसार, पुनरचक्रण के माध्यम से द्वितीयक कच्चे माल की पुनरप्राप्ति को पुनः उपयोग के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- शोध के तहत तीसरा विकल्प अपशिष्ट प्लास्टिक से ईंधन उत्पन्न करना है।
- चौथा विकल्प गैर-पुनरचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये अन्य उपयोगी अनुप्रयोगों को ढूँढना है। वर्तमान में इसको बटुमनि के साथ मलिकर सीमेंट भट्टियों में और सडकों को बछाने के लिये उपयोग कया जा रहा है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये कानूनी प्रावधान

- प्लास्टिक अपशिष्ट में हो रही वृद्धि के कारणों में कानूनों का उचित रूप से क्रयान्वयन न कया जाना एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत कया गया था।
- इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की जमिमेदारी राज्य नगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय नकियायों पर डाली गई।
- साथ ही, इन नियमों में प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिये एक मानक नरिधारित कया गया और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिये शुल्क वसूलना अनिवार्य कर दया गया।

- 2016 में ये नयिम कई पहलुओं में अधिक कड़े हो गए। सबसे महत्त्वपूर्ण पहल वसितारति उत्पादकों की ज़म्मेदारी (ईपीआर) की शुरुआत थी जहाँ नरिमाताओं को उनके द्वारा उत्पादति अपशषिट को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लयि, एक कोलड ड्रकि नरिमाता को पीईटी बोटल वापस लेनी होती।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी क नरिमाताओं और प्लास्टकि वाहक बैग या बहु-स्तरीय पैकेजिग का आयात करने वालों से ईपीआर के हसिसे के रूप में शुल्कों का संग्रह अनवारि था। फलस्वरूप इससे स्थानीय प्राधकिरणों की वतित्तीय स्थति मज़बूत होती और प्लास्टकि अपशषिट प्रबंधन प्रणालयों को बढ़ावा मलित।
- लेकनि 2018 में नयिमों में कुछ फेरबदल देखे गए, जो इन्हें थोडा लचर बनाते हैं। इसलयि, धारा 9 (3) के तहत अधसूचति नयिमों में, 'गैर-पुनरचकरण योग्य एमएलपी' शबद को 'एमएलपी' द्वारा प्रतस्थापति कयि गया जो क गैर-पुनरचकरण योग्य या गैर-ऊर्जा प्राप्ति योग्य है और जसिका कोई वैकल्पकि उपयुग नहीं है। कैरी बैग की कीमतों से संबंधति धारा 15 को भी छोड़ दयि गया है।
- इसके अतरिकित, एक वकिरेता को अब शहरी स्थानीय नकिय को शुल्क का भुगतान करने या इसमें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रही। इसकी बजाय, एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली शुरु करने की योजना है जहाँ दो से अधिक राज्यों में काम करने वाले उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा।

प्लास्टकि अपशषिट प्रबंधन के लयि कयि जा रहे नए प्रयास

- कुछ राज्य कानूनों के अनुपालन में काफी सकरयि रहे हैं। गोवा उनमें से एक है और हाल ही में महाराष्ट्र ने इसका पालन कयि है, जसिने मार्च में कैरी बैग और एकल उपयुग प्लास्टकि पर प्रतबिंध लगाया था।
- TERI के शोध-पत्र के अनुसार इस दशिा में छोटे उद्यमयों को पुनरचकरण के लयि प्रोत्साहति करने और कुछ नवाचारी आर्थकि मॉडल तैयार कयि जाने की आवश्यकता है। जैसे- कबाड़ीवाला नवासयों को समाचार पत्रों को अलग करने के लयि प्रोत्साहति करता है और बदले में नगर पालकिा द्वारा तय की गई पूर्व नरिधारति कीमतों के अनुसार सूखे अपशषिट संग्रह केंद्रों द्वारा उसे भुगतान कयि जाता है।
- इस वरष 5 जून को प्लास्टकि अपशषिट के प्रबंधन के लयि नई राहें खोलने का प्रयास कयि गया, जनिमें उद्युग आधारति कंसोर्टयिम स्थापति करना शामिल था जो प्लास्टकि कचरे का प्रबंधन करने के लयि आपूरति श्रृंखला बनाएगा।
- कंसोर्टयिम में आठ सदस्य आदतिय बड़िला समूह, रेड एफएम, कडिजानयिा इंडयिा - इमागीनेशन एड्यूटेनमेंट इंडयिा प्राइवेट लमिटिड, डालमयिा (भारत) सीमेंट लमिटिड, यूफ्लेक्स लमिटिड और डीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज शामिल हैं; इसका उद्देश्य होगा 'अपशषिट-प्रमाणन भवषिय', और ऐसा करने के लयि यह अपशषिट प्रबंधन को स्थायी रूप से प्रबंधति करने हेतु आवश्यक संस्थागत और नीतगित हस्तक्षेपों की पहचान करेगा।

नषिकर्ष

हालाँक कंसोर्टयिम ने वभिन्न प्रकार के अपशषिटों के लयि आपूरति श्रृंखला बनाने की कोशशि की है जो क सभि हतिधारकों के लयि एक व्यापारकि मामला है, यह देखा जाना बाकी है क इस तरह के प्रयास लंबे समय तक कैसे जारी रहेंगे। जनता और सरकार की सकरयि भागीदारी अपशषिट प्रबंधन के लयि अति आवश्यक है। लेकनि एक बात तो सुनिश्चति है कयिद समाधान जल्दी से नहीं मलिते हैं तो भारत को प्लास्टकि अपशषिट के नीचे दफन होने की सबसे खराब स्थति के लयि तैयार होना होगा।